कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः– 693 / FP/UK/ROAD/20710/2016 देहरादूनः दिनांक 11-9 -अगस्त , 2018

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गांव से भितरली–किमाडी मोटर मार्ग हेतु 3.528 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online File No - FP/UK/ROAD/20710/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। अतः प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या /1जी– FP/UK/ROAD/20710/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति पार्ट । से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
7. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः–जनपद–देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गांव से भितरली–किमाडी मोटर मार्ग हेतु 3.528 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online File No - FP/UK/ROAD/20710/2016)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु मसूरी वन प्रभाग में (राजपुर कक्ष संख्या–,07 –0.350 हे0, रिखोली कक्ष संख्या–08–1.540 हे0 एवं रिखोली कक्ष संख्या–07– 0.4550 हे0) कुल 2.345 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 1.183 हे0 सिविल सोयम वन भूमि अर्थात कुल 3.528 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी, तथा वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः **जनपद–देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गांव से भितरली–किमाडी मोटर मार्ग** के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (मनोज चन्द्रन भा.व.से.)

मुख्य वन संरक्षक

तिथि : 11 /08/2018

स्थान : देहरादून